प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र0सू0रि0 सं 47/22 दिनांक 16/2/22
2. (1) अधिनियम .....धाराऐं **7 भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018**.....
   (2) अन्य अधिनियम एवं .....धाराऐं .....
3. (क) घटना का दिन :– 14.02.2022
   (ख) थाने/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 11.02.2022 समय :– **04.05 पी.एम.**
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 342 समय 5:30 P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) **टाईपशुदा**
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) चौकी से दिशा एवं दूरी – **पश्चिम एवं 1.5 किलोमीटर**
   बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
   (ख) पताः– **कार्यालय सहायक निदेशक, उद्यान बूंदी/आरोपी का प्रोफेसर कॉलोनी, देवपुरा, बूंदी में स्थित किराये का मकान**
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– **श्री पुरूषोतम शर्मा, जाति ब्राहमण**
   (ख) पिता का नाम :– **श्री रामप्रसाद शर्मा**
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– **30 साल**
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय – **मै0 शक्ति पम्प इण्डिया लिमिटेड का अधिकृत प्रतिनिधि**
   (छ) पता :– **ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बूंदी**
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   श्री **रामप्रसाद पुत्र श्री मोरपाल जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी हाल निवासी शिवराज सिंह राजपूत के किराये का मकान प्रोफेसर कॉलोनी देवपुरा बूंदी हाल सहायक निदेशक, उद्यान, बूंदी।**
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – **2,50,000 रूपये** .....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

दिनांक 11.02.2022 को श्री पुरूषोतम शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली, जिला बूंदी उपस्थित एसीबी चौकी बूंदी आया तथा एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि – मैं ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बूंदी का रहने वाला हूँ। मै0 शक्ति पम्प इण्डिया लिमिटेड का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ तथा बूंदी जिले का कार्य देखता हूँ। कम्पनी का कार्य प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत कृषकों को कृषि हेतु सोलर कनेक्शन देना है। एक सोलर कनेक्शन की एवज में कम्पनी मुझे 18,000 रू मानदेय देती है। मैंने सन् 2020 व 2021 में अब तक करीबन 217 सोलर कनेक्शन करवाये है। कम्पनी मुझे लेबर व फिटिंग की एवज में प्रति सोलर कनेक्शन 18,000 रू मानदेय देती है। प्रति सोलर कनेक्शन मिलने वाली राशि श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक, उद्यान बूंदी द्वारा सत्यापन करने के बाद मुझे मिलती है।

श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक, उद्यान बूंदी द्वारा मेरे से प्रति सोलर कनेक्शन के 18,000 रू में से 4,000 रू प्रति फाईल रिश्वत की मांग करता है तथा रिश्वत नही देने पर परेशान करता है तथा नया कार्य देने से मना कर रहा है तथा कहता कि पुराना हिसाब कर दे। मेरे पर दबाव बनाकर प्रति सोलर कनेक्शन के 4,000 रू प्रति फाईल की दर से रिश्वत की मांग कर रहा है, रिश्वत देने पर ही आगे नया काम देने की बात कह रहा है। श्री रामप्रसाद मीणा के पास जब भी जाता हूँ तो पुराना हिसाब करने के नाम से रिश्वत की मांग करता है। मेरे पास एक साथ इतनी राशि देने के लिये नकदी नही है।

मैं मेरे वैध व परिश्रम की कमाई से अवैध रिश्वत नही देना चाहता हूँ। मैं श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक से मेरी कोई पुरानी रंजिश व नाराजगी नही है तथा कोई रूपयों का लेन–देन बकाया नही है। कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश है।

परिवादी ने मजीद दरयाफ्त पर बताया कि मैंने अभी तक 217 सोलर कनेक्शन किये है उनका कुछ भुगतान हो चुका है तथा कुछ शेष है। श्री रामप्रसाद मीणा मेरे द्वारा पूर्व में किये गये सोलर कनेक्शनों की एवज में रिश्वत के रूप में हिसाब करने की कहता है तथा रिश्वत नही देने पर मुझे नया कार्य नही देने की धमकी देता है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का होना पाया गया, जिसका सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से मन् उप अधीक्षक ने परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा को सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु व बंद करने की विधि समझाकर, सुपुर्द कर समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी से अपने कार्य के सम्बन्ध में बातचीत कर दोनो के मध्य होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे व बाद वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर लाकर मन् उप अधीक्षक को पेश करें। श्री शिवनारायण सोनी हैड कानि. 30 को परिवादी पर निगरानी बनाये रखने की समझाइश कर परिवादी के साथ स्वयं की कार से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया।

समय 5.30 पी.एम पर परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा व श्री शिवनारायण सोनी हैड कानि. 30 उपस्थित चौकी आये। परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं, शिवनारायण दोनों मेरी निजी कार से खोजा गेट चौराहा स्थित कार्यालय उद्यान विभाग बूंदी गये। वहॉ पर श्री शिवनारायण सोनी को कार्यालय के बाहर छोडकर मैंने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु किया और उद्यान कार्यालय में श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक से वार्ता करने के लिये गया तो रामप्रसाद मीणा अपने कार्यालय में मौजूद मिला, जिससे मैंने बातचीत की तो बताया कि प्रति सोलर कनेक्शन के 4,000 रू बतौर कमीशन रिश्वत का हिसाब कर दे और नया कार्य दे देंगें। बातचीत के दौरान श्री रामप्रसाद मीणा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रिश्वत के तौर पर रूपये देकर पुराना हिसाब करो और नया काम लो। उक्त बातों को मैंने वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया तथा बातचीत के बाद कार्यालय से बाहर आकर मैंने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया तथा श्री शिवनारायण सोनी को साथ लेकर चौकी पर आया हूँ। श्री शिवनारायण सोनी हैड कानि. 30 से पूछने पर परिवादी के बताये कथनों की पुष्टि की। मन् उप अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा प्रति सोलर कनेक्शन रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई।

परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी रूपये नही है तथा श्री रामप्रसाद मीणा मेरे से सोमवार को रिश्वत के रूपये लेगा। मैं 1–2 दिन में जितने रूपयों की व्यवस्था होती है कर लेता हूँ। इस पर परिवादी को दिनांक 13.02.2022 को समय 04.00 पी.एम. पर अग्रिम कार्यवाही के क्रम में चौकी पर उपस्थित होने की समझाइश कर रूखस्त किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट बनाने के क्रम में मन् उप अधीक्षक ने कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम बूंदी के नाम एक तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह दिनांक 13.02.2022 समय 04.00 पी.एम. पर चौकी पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाने के लिये श्री चन्द्रेश कानि. 279 को रवाना किया गया।

श्री चन्द्रेश कानि. 279 चौकी हाजा आया और कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम बूंदी का पत्रांक 2992 दिनांक 11.02.2022 पेश किया। पत्र का अवलोंकन किया तो स्वतंत्र गवाह श्री नीरज कुमार सिंह क0अभि0 व श्री हरीश गुप्ता क0अभि0 को पाबन्द किया गया है। दिनांक 13.02.2022 को परिवादी व गवाहान उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 13.02.2022 को समय 04.10 पी.एम. पर परिवादी पुरूषोतम शर्मा व स्वतंत्र गवाहान उपस्थित चौकी आये। स्वतंत्र गवाहान से नाम पद पूछा गया तो एक ने अपना नाम हरीश गुप्ता पुत्र श्री प्रेम शंकर गुप्ता जाति महाजन उम्र 36 साल निवासी म.नं. 17 दानबाडी जवाहर नगर कोटा शहर हाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता–अ, प्रथम, जेवीवीएनएल बूंदी एवं दूसरे ने अपना नाम नीरज कुमार सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह जाति राजपूत उम्र 36 साल निवासी म.नं. 67 गेट नं. 2 रजत गृह कॉलोनी, नैंनवा रोड, बूंदी हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जेवीवीएनएल दबलाना, जिला बूंदी होना बताया। स्वतंत्र गवाहान का परिवादी पुरूषोतम शर्मा से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 11.02.2022 को पेश

प्रार्थना पत्र को गवाहान को पढकर सुनाया, गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति दी।

परिवादी पुरूषोतम शर्मा व आरोपी रामप्रसाद मीणा सहायक निदेशक के मध्य दिनांक 11.02.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया था। डिजिटल वॉईस रिकार्डर को सरकारी लेपटॉप में लगाकर स्पीकर ऑन करके परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं परिवादी से वार्ता की पहचान करवाई गई तो परिवादी ने रिकार्ड वार्ता में पहली आवाज आरोपी रामप्रसाद मीणा तथा दूसरी आवाज स्वयं की होना पहचान की। तत्पश्चात उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट मेरे निर्देशन में श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में तैयार करवाई जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी व गवाहान को दिनांक 14.02.2022 को समय 09.30 ए.एम. पर एसीबी चौकी बूंदी पर उपस्थित होने की समझाइश कर रूखस्त किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि मांग के अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि साथ लेकर चौकी पर आये।

दिनांक 14.02.2022 को समय 09.30 ए.एम पर पाबन्दशुदा परिवादी पुरूषोतम शर्मा तथा स्वतंत्र गवाहान श्री नीरज कुमार सिंह व हरीश गुप्ता चौकी हाजा उपस्थित आये। परिवादी पुरूषोतम शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बूंदी ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के दो–दो हजार रूपये के 123 नोट व पांच–पांच सौ रूपये के 8 नोट कुल राशि 2,50,000 रूपये मन उप अधीक्षक के समक्ष पेश किये ,नोटो के नम्बर फर्द मे अकित करवाये गये। सुश्री हेमेन्द्रा म0कानि. 416 से कार्यालय के मालखाना से फिनोथ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई गई तथा मन् उप अधीक्षक के चेम्बर की टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर सुश्री हेमेन्द्रा म0कानि. 416 से अच्छी तरह से फिनोथ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री नीरज सिंह से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में उक्त फिनोथ्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटो को सुश्री हेमेन्द्रा म0कानि. 416 से रखवाये गये। एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में सुश्री हेमेन्द्रा म0कानि. 416 की फिनोथ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोथ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। सुश्री हेमेन्द्रा म0कानि. 416 से फिनोथ्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाना में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोथ्थलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार को जलवाया गया। सुश्री हेमेन्द्रा म0कानि. 416 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझा कर सम्भलाया गया। परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा को समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद स्वयं के मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल करें अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही की गई।

परिवादी पुरूषोतम शर्मा ने मन् उप अधीक्षक को बताया कि रामप्रसाद मीणा सहायक निदेशक इस समय अपने कार्यालय में मिलेगा। इस पर परिवादी को आवश्यक समझाइश कर स्वयं की निजी कार से श्री राम सिंह कानि. के साथ तथा श्री चन्द्रेश गोयल कानि. व श्री मनोज कानि. को सरकारी मोटरसाइकिल से तथा श्री ताराचन्द पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान को सरकारी वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर मय चालक प्रेमप्रकाश कानि. के आगे आगे रवाना होकर मन् उप अधीक्षक मय शिवनारायण सोनी हैड कानि. व राजकमल कानि. के प्राइवेट वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। कार्यालय में सुश्री हेमेन्द्रा म.कानि. को छोडा गया।

मन् उप अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ते के खोजा गेट चौराहे कुम्भा स्टेडियम रोड पहुॅचकर परिवादी पुरूषोतम शर्मा से डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु

करवाकर आरोपी रामप्रसाद मीणा के पास रिश्वत लेन–देन हेतु कार्यालय सहायक निदेशक, उद्यान, बूंदी रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व टीम के चौराहे के आस–पास अपनी अपनी उपस्थिति को छुपाकर परिवादी के निर्धारित इशारे में मुकीम रहे। सरकारी व प्राइवेट वाहन को साइड में खडा करवाया गया।

समय 12.45 पी.एम. पर परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा ने श्री शिवनारायण हैड कानि. के मोबाईल पर कॉल करके बताया कि रामप्रसाद मीणा मेरे से रिश्वत के 2,50,000 रूपये लेकर अपने कार्यालय से बाहर निकल गया। इस पर आस पास खोजा गेट चौराहा पर मुकीम स्वतंत्र गवाहान व एसीबी टीम को कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान बूंदी के अन्दर आने के निर्देश देकर मन् उप अधीक्षक मय ताराचन्द पुलिस निरीक्षक, शिवनारायण हैड कानि., राजकमल कानि. भी प्राइवेट वाहन से चौराहे से रवाना होकर कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान बूंदी के अन्दर गये तो परिवादी ने बताया कि रामप्रसाद मीणा ने अपने कार्यालय के अन्दर अभी अभी मेरे से रिश्वत के 2,50,000 रूपये लेकर बाहर निकल गया है। इस पर मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी टीम के मोटरसाइकिल पर भागते हुये आरोपी रामप्रसाद मीणा का प्राइवेट व सरकारी वाहनो से पीछा करके कुम्भा स्टेडियम रोड व रणजीत निवास होता हुआ देवपुरा में प्रोफेसर कॉलोनी पहुचा। जहां पर उक्त व्यक्ति ने मकान मे धुसकर अन्दर से कुन्दी लगा ली, मन् उप अधीक्षक व टीम द्वारा मकान के अन्दर मोजूद उक्त व्यक्ति से मकान की कुन्दी खोलने को कहा तो मकान की कुन्दी नही खोली, जिस पर रिश्वत राशि नष्ट होने की आशंका को मध्य नजर रखते हुए उक्त मकान के पास में बने मकान की छत पर श्री चन्द्रेश गोयल कानि. 279 को भेजा, श्री चन्द्रेश गोयल कानि. दूसरे मकान की छत पर गया तो उक्त मकान की छत पर एक व्यक्ति हाथ में एक प्लास्टिक का सफेद कटटा लिये हुये मिला। जिसको कानि. चन्द्रेश पकडकर नीचे लाया तथा दरवाजे की कुन्दी को खोला। इसके बाद मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व टीम के मकान के अन्दर प्रवेश किया तो एक व्यक्ति जिसने शर्ट व जीन्स पेन्ट पहन रखी थी, उक्त व्यक्ति के हाथ में एक प्लास्टिक का सफेद कटटा था, जिसको फोल्ड कर रखा था। उक्त व्यक्ति को सोफे पर बैठाकर नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम रामप्रसाद पुत्र श्री मोरपाल जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी हाल निवासी किरायेदार प्रोफेसर कॉलोनी देवपुरा बूंदी हाल सहायक निदेशक, उद्यान विभाग बूंदी का होना बताया। गवाह श्री नीरज कुमार सिंह से प्लास्टिक कटटे को चैक करवाया गया तो कटटे के अन्दर दो–दो हजार रूपये 123 नोट व पांच–पांच रूपये के 8 नोट कुल 2,50,000 रूपये कागज में लिपटे हुये मिलें, जिनको कटटे से बाहर निकलवाकर बरामद नोटों व कागज को गवाह नीरज कुमार सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर मन उप अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा।

श्री रामप्रसाद मीणा के पास मिले 2,50,000 रूपये के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि पुरूषोतम शर्मा को मैंने रूपये उधार दे रखे थे जिसने आज मुझे 2,50,000 रूपये वापिस दिये थे, जो मैंने इस कटटे में रख लिये। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा से पूछा तो उसने कोई उधारी के नही होकर रिश्वत के लेना बताया।

आरोपी के दोनो हाथों की धुलाई आवश्यक होने से आरोपी के किराये के मकान से साफ पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री रामप्रसाद मीणा के दांये हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क RH–1, RH –2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री रामप्रसाद मीणा के बांये हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क LH –1, LH –2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

मौके पर कॉलोनीवासियों की भीड जमा होने व आरोपी रामप्रसाद मीणा के मकान में उसकी मौसी की लडकियों द्वारा कार्यवाही को प्रभावित करने की आशंका के चलते घटनास्थल का नक्शा मौका मूर्तिब किया गया। आरोपी के किराये के मकान में उसकी मौसी की लडकी विनिता व उसकी बहिन पढाई के कारण साथ रहती है, मकान को देखा गया तो खाने पीने के सामान्य सामान, कपडे व पलंग व सोफे के अलावा कोई अन्य कीमती सामान नजर नही आने पर

खाना तलाशी नही ली गई। मन् उप अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहों व एसीबी टीम के आरोपी रामप्रसाद मीणा को साथ लेकर मौके से प्राइवेट व सरकारी वाहन से रवाना होकर चौकी बूंदी पहुॅचा। आरोपी को कार्यालय में जाप्ते की निगरानी में बैठाया गया। मौके पर आरोपी रामप्रसाद मीणा के कब्जे में मिले प्लास्टिक के कटटे में कागज में लिपटे हुये दो–दो हजार रूपये 123 नोट व पांच–पांच रूपये के 8 नोट कुल 131 नोट कुल राशि 2,50,000 रूपये मिले थे, उक्त नोटो व कागज को स्वतंत्र गवाह नीरज कुमार सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये थे। दोनों स्वतंत्र गवाहान से नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकसी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटो के नम्बर फर्द मे अकिंत नम्बरों से हु ब हु मिलान होना बताया। बरामद नोटों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.स.	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1	एक नोट दो हजार रूपये	0 HP 215803
2	एक नोट दो हजार रूपये	4 HM 549104
3	एक नोट दो हजार रूपये	5 CA 567506
4	एक नोट दो हजार रूपये	3 MD 632070
5	एक नोट दो हजार रूपये	2 GM 494943
6	एक नोट दो हजार रूपये	1 LN 433426
7	एक नोट दो हजार रूपये	1 FT 683758
8	एक नोट दो हजार रूपये	8 BK 619613
9	एक नोट दो हजार रूपये	8 GA 432193
10	एक नोट दो हजार रूपये	8 BL 790487
11	एक नोट दो हजार रूपये	3 FM 076219
12	एक नोट दो हजार रूपये	7 DR 106880
13	एक नोट दो हजार रूपये	0 LD 844732
14	एक नोट दो हजार रूपये	6 FK 724239
15	एक नोट दो हजार रूपये	5 LN 894725
16	एक नोट दो हजार रूपये	7 DU 807740
17	एक नोट दो हजार रूपये	6 DL 710110
18	एक नोट दो हजार रूपये	2 HE 958740
19	एक नोट दो हजार रूपये	9 FT 636046
20	एक नोट दो हजार रूपये	7 HL 429905
21	एक नोट दो हजार रूपये	0 FL 498365
22	एक नोट दो हजार रूपये	7 EN 188803
23	एक नोट दो हजार रूपये	2 FG 802986
24	एक नोट दो हजार रूपये	4 CA 533537
25	एक नोट दो हजार रूपये	2 HQ 501410
26	एक नोट दो हजार रूपये	0 KP 921916
27	एक नोट दो हजार रूपये	0 AB 759993
28	एक नोट दो हजार रूपये	3 CQ 529268
29	एक नोट दो हजार रूपये	0 DU 465445
30	एक नोट दो हजार रूपये	8 AT 038128
31	एक नोट दो हजार रूपये	9 DG 866636
32	एक नोट दो हजार रूपये	5 FD 022142
33	एक नोट दो हजार रूपये	4 CK 682198
34	एक नोट दो हजार रूपये	9 FL 475102
35	एक नोट दो हजार रूपये	7 FP 858505
36	एक नोट दो हजार रूपये	5 MM 142366
37	एक नोट दो हजार रूपये	0 GC 898307
38	एक नोट दो हजार रूपये	6 HV 958235
39	एक नोट दो हजार रूपये	4 HW 515036
40	एक नोट दो हजार रूपये	8 AG 974119
41	एक नोट दो हजार रूपये	2 DT 288139
42	एक नोट दो हजार रूपये	7 DE 796111

43	एक नोट दो हजार रूपये	8 KM 225162
44	एक नोट दो हजार रूपये	6 DC 803911
45	एक नोट दो हजार रूपये	2 KF 161476
46	एक नोट दो हजार रूपये	8 MC 180542
47	एक नोट दो हजार रूपये	0 AK 962840
48	एक नोट दो हजार रूपये	8 AM 884732
49	एक नोट दो हजार रूपये	2 GL 844567
50	एक नोट दो हजार रूपये	3 AM 264381
51	एक नोट दो हजार रूपये	1 HU 901564
52	एक नोट दो हजार रूपये	5 BE 814831
53	एक नोट दो हजार रूपये	4 HT 422520
54	एक नोट दो हजार रूपये	4 MQ 911686
55	एक नोट दो हजार रूपये	0 AM 366343
56	एक नोट दो हजार रूपये	2 HL 317244
57	एक नोट दो हजार रूपये	5 FQ 537258
58	एक नोट दो हजार रूपये	4 KS 529207
59	एक नोट दो हजार रूपये	4 MS 670249
60	एक नोट दो हजार रूपये	5 BW 661259
61	एक नोट दो हजार रूपये	9 CQ 292842
62	एक नोट दो हजार रूपये	6 KT 779557
63	एक नोट दो हजार रूपये	6 CV 813315
64	एक नोट दो हजार रूपये	2 DE 155047
65	एक नोट दो हजार रूपये	1 HU 163680
66	एक नोट दो हजार रूपये	3 AP 280148
67	एक नोट दो हजार रूपये	0 DR 653841
68	एक नोट दो हजार रूपये	6 CG 525761
69	एक नोट दो हजार रूपये	2 BL 847383
70	एक नोट दो हजार रूपये	1 GD 113994
71	एक नोट दो हजार रूपये	0 HV 417538
72	एक नोट दो हजार रूपये	4 KA 661767
73	एक नोट दो हजार रूपये	3 EA 651223
74	एक नोट दो हजार रूपये	6 EH 953940
75	एक नोट दो हजार रूपये	3 ER 794351
76	एक नोट दो हजार रूपये	0 KK 866406
77	एक नोट दो हजार रूपये	5 MU 946129
78	एक नोट दो हजार रूपये	8 AU 651756
79	एक नोट दो हजार रूपये	9 BC 742555
80	एक नोट दो हजार रूपये	7 HA 985084
81	एक नोट दो हजार रूपये	1 CT 164682
82	एक नोट दो हजार रूपये	8 FE 362941
83	एक नोट दो हजार रूपये	3 CS 495100
84	एक नोट दो हजार रूपये	2 HS 764398
85	एक नोट दो हजार रूपये	1 FU 773013
86	एक नोट दो हजार रूपये	2 EU 801775
87	एक नोट दो हजार रूपये	9 BL 602271
88	एक नोट दो हजार रूपये	2 FW 756293
89	एक नोट दो हजार रूपये	0 HF 830720
90	एक नोट दो हजार रूपये	9 ES 792197
91	एक नोट दो हजार रूपये	2 GV 506293
92	एक नोट दो हजार रूपये	8 AB 450203
93	एक नोट दो हजार रूपये	3 KF 215823
94	एक नोट दो हजार रूपये	1 HG 116719

95	एक नोट दो हजार रूपये	3 AG 865383
96	एक नोट दो हजार रूपये	4 EV 264153
97	एक नोट दो हजार रूपये	4 EQ 998021
98	एक नोट दो हजार रूपये	6 KC 814990
99	एक नोट दो हजार रूपये	1 NA 184929
100	एक नोट दो हजार रूपये	0 KP 019225
101	एक नोट दो हजार रूपये	9 HQ 393323
102	एक नोट दो हजार रूपये	1 FH 739493
103	एक नोट दो हजार रूपये	8 EA 963925
104	एक नोट दो हजार रूपये	9 BM 796816
105	एक नोट दो हजार रूपये	1 LR 745999
106	एक नोट दो हजार रूपये	6 NA 584936
107	एक नोट दो हजार रूपये	3 FP 985399
108	एक नोट दो हजार रूपये	7 DP 339252
109	एक नोट दो हजार रूपये	6 ES 456904
110	एक नोट दो हजार रूपये	8 EH 047168
111	एक नोट दो हजार रूपये	0 AW 950748
112	एक नोट दो हजार रूपये	5 BU 600182
113	एक नोट दो हजार रूपये	4 HQ 228839
114	एक नोट दो हजार रूपये	2 LF 796688
115	एक नोट दो हजार रूपये	8 AE 911546
116	एक नोट दो हजार रूपये	7 AM 761189
117	एक नोट दो हजार रूपये	4 CM 589160
118	एक नोट दो हजार रूपये	5 AB 444674
119	एक नोट दो हजार रूपये	7 EB 117902
120	एक नोट दो हजार रूपये	9 CP 145264
121	एक नोट दो हजार रूपये	3 DB 047480
122	एक नोट दो हजार रूपये	1 CC 665431
123	एक नोट दो हजार रूपये	0 CU 631798
124	एक नोट पांच सौ रूपये	9 BK 515694
125	एक नोट पांच सौ रूपये	0 UV 834618
126	एक नोट पांच सौ रूपये	6 PK 723195
127	एक नोट पांच सौ रूपये	4 RP 326151
128	एक नोट पांच सौ रूपये	8 SA 206933
129	एक नोट पांच सौ रूपये	1 KM 735135
130	एक नोट पांच सौ रूपये	6 PR 724933
131	एक नोट पांच सौ रूपये	7 AD 570254

इस पर उक्त समस्त नोटो को एक कागज के लिफाफे में रखकर, विवरण अकिंत कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। नोटों को जिन कागजों में लपेट रखा था, उक्त को चैक किया गया तो दो ए–4 साईज के कागज है दोनों पर कम्प्यूटर से टाईप कर प्रिन्ट किया हुआ है एक कागज पर हैडिंग ''कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान बूंदी'' ''विभागीय योजना का सक्षिंप्त नोट'' लिखकर नीचे कार्यवाही विवरण लिखा हुआ है तथा दूसरे कागज पर हैडिंग ''कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान बूंदी'' ''जिले में उद्यानिकी योजनाओं का संक्षिंप्त नोट'' लिखकर नीचे कार्यवाही विवरण लिखा हुआ है व नीचे सहायक निदेशक उद्यान बूंदी पर पैन से हस्ताक्षर किये हुये है। उक्त दोनों कागजो के अन्दर लिपटी हुई रिश्वत राशि 2,50,000 रूपये बरामद हुई है। अतः उक्त दोनों ए–4 कागजों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर दोनों कागजों को कपडे की थैली में रखकर सील चस्पा कर शिल्डमोहर करके मार्क–**K** दिया जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

परिवादी के बताये अनुसार आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत लेकर वक्त घटना पहनी हुई जीन्स पेन्ट की दाहिनीं जेब में रिश्वत राशि को रखा था। इस कारण चौकी के बैरिक से लॉवर मंगवाकर आरोपी की पहनी हुई जीन्स पेन्ट को उतरवाकर लॉवर पहनाई गई। तत्पश्चात रामसिंह

कानि. 78 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम 'कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री रामप्रसाद मीणा की वक्त घटना पहनी हुई नीले रंग की जीन्स पेन्ट की दायीं जेब को उल्टा करके धुलवाया गया तो धोवन का रंग गंदमैला हो गया जिसे आधा आधा दो साफ कांच की शिशियों में डालकर सील चिट मुहर किया जाकर शीशीयो पर मार्क P–1 व मार्क P–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। आरोपी श्री रामप्रसाद मीणा की वक्त घटना पहनी हुई नीले रंग की जीन्स पेन्ट की जेब को सुखाकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल मोहर कर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया व कपडे की थैली पर मार्क– P अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

आरोपी रामप्रसाद मीणा द्वारा परिवादी से कागज में लिपटवाकर रिश्वत राशि 2,50,000 रूपये अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखकर अपने कार्यालय से मोटरसाइकिल से लेकर अपने घर भाग गया, जिसको पीछा कर प्रोफेसर कॉलोनी देवपुरा में स्थित उसके किराये के मकान पर पकडा गया तथा रिश्वत राशि 2,50,000 रूपये कागज में लिपटे हुये प्लास्टिक कटटे से बरामद हुए है। उक्त प्लास्टिक के कटटे को चैक किया गया तो कटटे का रंग सफेद है तथा कटटे पर लाल अक्षरो में "**उत्तम नीम यूरिया**" लिखा हुआ है, कटटा पुराना होने से अक्षर धूंधले हो रखे है। उक्त प्लास्टिक कटटे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल मोहर कर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया व कपडे की थैली पर मार्क–PK अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

परिवादी पुरूषोतम शर्मा से ली गई रिश्वत राशि 2,50,000 रूपये के सम्बंध में आरोपी रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक, उद्यान बूंदी से पूछने पर बताया कि " मैंने पुरूषोतम शर्मा से कोई रिश्वत नही ली है। पुरूषोतम शर्मा अपने काम के सिलसिले में मेरे कार्यालय आता जाता रहता था। इस कारण मैं पुरूषोतम शर्मा को करीबन डेढ साल से जानता हूँ वह किसानों के सोलर कनेक्शन करता है। आज से करीब सालभर पहले पुरूषोतम शर्मा ने मेरे से कहा था कि मेरे को लेबर/ट्रांसपोरटेशन(बूंदी से किसान के खेत तक पहुँचाने के लिये) के लिये रूपये की आवश्यकता है इसलिये थोडे समय के लिये रूपये उधार दे दो। इस पर मैंने कहा था कि ले लेना। इसके बाद पुरूषोतम शर्मा ने मेरे से अलग अलग टुकडों में 3 लाख रूपये लिये थे जो आज से करीब 6 माह पहले पुरूषोतम शर्मा ने मेरे को वापस लौटा दिये थे, इस कारण मुझे पुरूषोतम शर्मा पर विश्वास हो गया था। उसके बाद पुरूषोतम शर्मा ने दुबारा मेरे से टुकडों में करीबन 3 लाख रूपये ले लिये थे और मेरे को कहा कि कम्पनी से मानदेय मिलेगा तो आपको लोटा दुंगा, आज इसने मेरे को उधार के 2,50,000 रूपये ऑफिस में दिये थे, इसके बाद मैं रूपये लेकर मेरे घर खाना खाने मोटरसाइकिल लेकर चला गया था, पीछे पीछे आपने आकर आपने पकड लिया तो मैंने वस्तुस्थिति आपको बता दी है। मैंने पुरूषोतम शर्मा से रिश्वत नही ली है बल्कि मेरे उधार के रूपये लिये है। मेरे पुरूषोतम शर्मा में अभी भी 50,000 रू उधार के बाकि है।"

आरोपी से परिवादी पुरूषोतम शर्मा के साथ रूपयों का लेन–देन करने के बारे में दस्तावेज/कागज पेश करने को कहा तो बताया कि बस विश्वास के कारण लेन–देन था, मैंने रूपये उधार लने–देन बाबत कोई लिखा पढी नही की थी। आरोपी रामप्रसाद को दिनांक 11.02.2022 को परिवादी पुरूषोतम शर्मा से रिश्वत लेन–देन व आज रूपये लेकर भागने के बारे में पूछा था तो कोई जवाब नही दिया तथा चुप्पी साध ली।

परिवादी पुरूषोतम शर्मा ने बताया कि "मैंने अब तक 217 सोलर कनेक्शन किसानों के किये है उनका प्रति कनेक्शन 4000 रू की दर से रामप्रसाद मीणा मेरे से रिश्वत मांगने का दबाव बना रहा था। अभी वर्ष 2022 में नये काम के बारे में पता किया तो रामप्रसाद मीणा ने मेरे को कहा कि 4000 रू प्रति फाईल के हिसाब से रूपये देगा, तभी नया काम मिलेगा, अन्यथा नही दूंगा। इसके बाद मे मैंने एसीबी में दिनांक 11.02.2022 को आपको शिकायत पेश की थी, उसके बाद दिनांक 11.02.2022 को ही रिश्वत मांगने के सम्बंध में आपके कार्यालय के शिवनारायण जी को साथ लेकर मैं रामप्रसाद मीणा से बातचीत करने गया था, उस समय मेरे व रामप्रसाद मीणा के मध्य हुई बातचीत को मैंने आपके कार्यालय के सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था, जो मैंने आपको उसी दिन पेश कर दिया था। आज रामप्रसाद मीणा ने मेरे को रूपये लेकर बुलाया था, जिस पर मैं आज रामप्रसाद मीणा के पास गया तो इसने मुझे पहले एक घन्टे से ज्यादा समय तक बैठाकर रखा तथा फिर रिश्वत राशि 2,50,000 रूपये को मेरे से कागज

में लिपटवाकर अपनी पहनी हुई जीन्स पेन्ट की जेब में डालकर अपने कार्यालय से चला गया। 'रामप्रसाद मीणा से मेरा कोई उधार का लेन–देन नही रहा है। मैंने आज 2,50,000 रू रामप्रसाद मीणा को उसकी मांग के अनुसार रिश्वत के दिये है।''

ट्रेप कार्यवाही से आरोपी रामप्रसाद पुत्र श्री मोरपाल जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी हाल निवासी शिवराज सिंह राजपूत का किराये का मकान प्रोफेसर कॉलोनी देवपुरा बूंदी हाल सहायक निदेशक, उद्यान, बूंदी के विरूद्ध परिवादी पुरूषोतम शर्मा से उसके द्वारा बून्दी जिले मे 217 सोलर कनेक्शन की प्रति फाईल के कार्य सत्यापन की एवज में चार हजार रूपये की रिश्वत मांग करना एवं परिवादी से 2,50,000 रूपये रिश्वत राशि लेते हुये पकड़ा जाना व रिश्वत राशि आरोपी के कब्जे से बरामद होना आरोपी का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध होना पाया गया। आरोपी श्री रामप्रसाद मीणा सहायक निदेशक को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में नोटिस दिया गया तो आरोपी ने अपनी प्रत्युत्तर में लिखित में पेश किया कि ''मैं अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता और ना ही एफ.एस.एल. से परीक्षण करवाना चाहता हूँ।'' नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी रामप्रसाद सहायक निदेशक, उद्यान, बूंदी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा तथा आरोपी रामप्रसाद मीणा सहायक निदेशक के मध्य आज दिनांक 14.02.2022 को वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता, जो परिवादी द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई है। डिजिटल वॉईस रिकार्डर को लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा तथा आरोपी रामप्रसाद सहायक निदेशक, उद्यान, बूंदी के मध्य दिनांक 11.02.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 14.02.2022 को वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता सहित कुल 2 रिकार्ड वार्ताओं को परिवादी से ए0सी0बी0 बून्दी के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया था। श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से मेरे निर्देशन में उक्त दोनों वार्ताओं को सरकारी लेपटॉप में डिजिटल वाईस रिकार्डर लगाकर वार्ताओं की चार सी0डी0 तैयार करवाई गई। जिसमें से तीन सी.डी. को कपडे की थैली में अलग–अलग रखकर सील मोहर किया गया एवं एक सी0डी0 को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखी गई। फर्द डबिंग व जब्ती सीडी मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। ट्रेप कार्यवाही में अब तक के जप्त आर्टिकल्स मय रिश्वत राशि 2,50,000 रूपये को श्री शिवनारायण हैड कानि. के जरिये जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को बाद ट्रेप कार्यवाही रूखस्त किया गया।

परिवादी पुरूषोतम शर्मा द्वारा जिन किसानों के सोलर कनेक्शन किये थे, उक्त के सम्बंध में कार्यालय सहायक निदेशक, उद्यान, बूंदी से रिकार्ड चाहा गया तो जरिये पत्रांक 6684 दिनांक 15.02.2022 से प्रधानमंत्री कुसुम योजना अन्तर्गत शक्ति पम्पस इंण्डिया लिमिटेड को जारी कार्यादेश व अन्तिम भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की सूची प्राप्त हुई, उक्त रिकार्ड को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 11.02.2022 को परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा ने उपस्थित चौकी बूंदी होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि – मैं ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बूंदी का रहने वाला हूँ। मै0 शक्ति पम्प इण्डिया लिमिटेड का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ तथा बूंदी जिले का कार्य देखता हूँ। कम्पनी का कार्य प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत कृषकों को कृषि हेतु सोलर कनेक्शन देना है। एक सोलर कनेक्शन की एवज में कम्पनी मुझे 18000 रू मानदेय देती है। मैंने सन् 2020 व 2021 में अब तक करीबन 217 सोलर कनेक्शन करवाये है। कम्पनी मुझे लेबर व फिटिंग की एवज में प्रति सोलर कनेक्शन 18000 रू मानदेय देती है। प्रति सोलर कनेक्शन मिलने वाली राशि श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक, उद्यान बूंदी द्वारा सत्यापन करने के बाद मुझे मिलती है। श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक, उद्यान बूंदी द्वारा मेरे से प्रति सोलर कनेक्शन के 18000 रू में से 4000 रू प्रति फाईल रिश्वत की मांग करता है तथा रिश्वत नही देने पर परेशान करता है तथा नया कार्य देने से मना

कर रहा है तथा कहता कि पुराना हिसाब कर दे। मेरे पर दबाव बनाकर प्रति सोलर कनेक्शन के 4000 रू प्रति फाईल की दर से रिश्वत की मांग कर रहा है, रिश्वत देने पर ही आगे नया काम देने की बात कह रहा है। श्री रामप्रसाद मीणा के पास जब भी जाता हूँ तो पुराना हिसाब करने के नाम से रिश्वत की मांग करता है। मैं मेरे वैध व परिश्रम की कमाई से अवैध रिश्वत नही देना चाहता हूँ।"

पारिवादी द्वारा दिनांक 11.02.2022 को ब्यूरो कार्यालय बूंदी में शिकायत करने पर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मे रिश्वत मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 14.02.2022 को ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी रामप्रसाद मीणा सहायक निदेशक को परिवादी से 2,50,000 रूपये रिश्वत लेने पर रंगे हाथ पकडा जाकर आरोपी के कब्जे से रिश्वत राशि 2,50,000 रूपये बरामद की गई है। आरोपी के दोनों हाथों का धोवन का सेम्पल लिया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। आरोपी रामप्रसाद मीणा सहायक निदेशक, उद्यान, बूंदी के विरूद्ध परिवादी पुरूषोतम शर्मा से उसके द्वारा बून्दी जिले मे 217 सोलर कनेक्शन की प्रति फाईल के कार्य सत्यापन की एवज में चार हजार रूपये की रिश्वत मांग करना एवं परिवादी से 2,50,000 रूपये रिश्वत राशि लेते हुये पकडा जाना व रिश्वत राशि आरोपी के कब्जे से बरामद होना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

आरोपी रामप्रसाद पुत्र श्री मोरपाल जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी हाल निवासी शिवराज सिंह राजपूत के किराये का मकान प्रोफेसर कॉलोनी देवपुरा बूंदी हाल सहायक निदेशक, उद्यान, बूंदी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन सी0पी0एस0 जयपुर प्रेषित है।

(ज्ञानचन्द)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बूंदी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिला बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक, उद्यान, बून्दी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 47/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

16.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 440-44 दिनांकः- 16.2.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।

16.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।